# आदेश-फलक

## न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०- 91/2012, शंभु शरण उपाध्याय बनाम दशरथ पासवान वगै०

केस का प्रकार- BLDR ACT

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | |
|---|---|---|
| 28/2/13 | **आदेश**<br>प्रस्तुत वाद आवेदक शंभुशरण उपाध्याय के द्वारा समर्पित आवेदन से प्रारंभ की।<br>आवेदक ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि अंचल योगापट्टी अंतर्गत मौजा बहुअरवा का खाता सं०-108, खेसरा सं०-741, रकबा 04 कट्ठा 14 धुर भूमि आवेदक के पिता राजेन्द्र उपाध्याय के द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री सुनैना कुमारी के नाम से 30.9.63 में निबंधित बैयनामा दस्तावेज के द्वारा खतियानी रैयत के वारिसों से प्राप्त कर दाखिल काबिज हुए। लेकिन विपक्षीगण एक गलत निबंधित बयनामा दस्तावेज दिनांक 08.09.98 के आधार पर आवेदक को हस्तक्षेप कर रहे हैं। जबकि उक्त बयनामा दस्तावेज को दिनांक 13.10.98 को ही विक्रेता जदुराई पासवान ने द्वारा निबंधन कार्यालय से दिनांक 08.09.98 के दस्तावेज का रद्दनामा बयनामा दस्तावेज तैयार करा लिये हैं।<br>आवेदक के आवेदन के आलोक में विपक्षियों को नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना पक्ष रखा | |

आदेश-फलक

# न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०-

केस का प्रकार-

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | |
|---|---|---|
| | विपक्षीगण ने अपने तर्क एवं लिखित जवाब में उल्लेख किया है कि | |
| (i) | प्रश्नगत मामला रैयती भूमि से जुड़ा है अतः इसकी सुनवाई BLDR Act के तहत नहीं की जा सकती। | |
| (ii) | उभय पक्षों का प्रश्नगत भूमि पर दावा निबंधित वयनामा दस्तावेज के आधार पर है। अतः इसकी सुनवाई सक्षम न्यायालय में की जा सकती है। | |
| (iii) | आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निबंधित वयनामा दस्तावेज एवं लगान रसीद की छायाप्रति फर्जी एवं जाली है। | |
| | विपक्षी ने आवेदक के आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया है। | |
| | वहीं आवेदक ने प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी सं-163 अंचल योगापट्टी मौ. [illegible] का दावा किया गया है तथा अपने दावों के समर्थन में वर्ष 2012 का लगान रसीद, निबंधित वयनामा दस्तावेज दिनांक 30.9.1963, तथा दिनांक 13.10.98 का रद्दीकरण (Cancellation) वयनामा दस्तावेज की छायाप्रति समर्पित करते हुए प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी को हस्तक्षेप करने से निषेधित करने का अनुरोध किया है। | |
| | उभय पक्षों के तर्कों को सुनने, उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब कागजातों का परिशीलन करने | |

## आदेश-फलक

# न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

बाद सं०-

केस का प्रकार-

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | |
|---|---|---|
| | से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि विपक्षी का दावा जिस [illegible] वयनामा दस्तावेज के आधार पर है, उक्त वयनामा दस्तावेज को विक्रेता के द्वारा [illegible] लगभग महीने के बाद ही रद्द करने संबंधी निबंधित दस्तावेज तैयार कराने से विपक्षी का दावा प्रश्नगत भूमि पर क्षीण हो जाता है।<br>अतः उपर्युक्त परिस्थिति में विपक्षीगण को प्रश्नगत विवादित भूमि पर हस्तक्षेप करने से तब तक के लिए निषेधित किया जाता है जब तक कि कोई अन्य वरीय न्यायालय या सक्षम न्यायालय के द्वारा दस्तावेज की वैधता के संबंध में कोई अन्यत्र आदेश पारित नहीं कर दिया जाय।<br>उभय पक्षों को सूचित करें।<br>वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।<br>ह०/ 23/4/17<br>भूमि सुधार उप समाहर्ता<br>बेतिया<br>(मुहर: न्यायालय, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बेतिया) | |